

28

21

अंचल अधिकारी जोतिन्द्र का नजदीक

अभिलेख नाम संख्या- 183 (V) 2018-13

नाम का प्रकार- विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं नगरीयताई से संबंधित।

2.4.18

झारखण्ड सरकार को ज्ञापक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सतपठित-श्री अपुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-साह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र/संख्या-3-खा०ग०वि०-110/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1986 एवं सत-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1988 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरगजलूआ खास भूमि की कायम फी गयी जागदंधियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच से तम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- तेकजोरा, पाना- 141, खाता संख्या- 60, प्लॉट संख्या- 1310 एकवा- ..... एकड़ की भूमि जो गैरगजलूआ खास, अनायाध विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 को जिल्द संख्या- 01 के पृष्ठ संख्या- 67 पर जमाबंदी रयत सुकुम मांगी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निदेशक द्वारा जाचीपुस्तक उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम/जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का/कर्मचारी एवं अंचल निदेशक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोदकर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ शादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना यांचनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उमको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 11.4.18, को उपरस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित  
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी  
24/18



11.4.18,

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एवं अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया हैं/नहीं किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।


अभिलेख दिनांक 16.4.18 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है, कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा ~~तेर जोडा~~ थाना सं० 141, खाता सं० 42, प्लॉट सं० 1310 कुल रकबा— जो जमाबंदी संख्या— 67 में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज वो लगान रसीद समर्पित हैं। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं०— 67 को रद्द करने हेतू जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशंसित जाँच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतू भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

अभिलेख आज उपस्थापित / अंचल अधिकारी श्री. वि. र. ३५७ के पत्रांक ५९८ दिनांक १६/५/१८ द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमाबंदी धारक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक ११/५/१८ को प्रस्तुत करे।


  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
धनबाद।

११/५/१८

अभिलेख उपस्थापित दिनांक १६/५/१८  
नॉ. १ अभिलेख ३०/५/१८ डी नॉ. ३०५

३०/५/१८

अभिलेख उपस्थापित दिनांक १६/५/१८  
नॉ. १ अभिलेख ३०/५/१८ डी नॉ. ३०५  
१९/६/१८

  
३०/५/१८